FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ...... मुकाम ......

हनुमानराम ...... बनाम ...... किशोरसिंह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR Act नं. 48 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.3.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भास्कर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/3/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
16/3/2020	प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी ... (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:26:33 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी की भूमि खेड़ा स्टे आदि हुए
खेतों के बीच पुरानी मेड़ एवं कांकड़ बने हुए हैं
आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे
पक्षकारों को अपने खेत की सीमाओं का सही
ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान होने विप्रार्थीगण
प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते हैं जिससे पक्षकारों
के बीच तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी
को अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेजाबंदी
करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेजाबंदी
आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के खेत की पक्की का
आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर एवं ~~सम्बंधित~~ भू. अ. निरीक्षक को सहायक
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता
है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी
की खातेदारी भूमि की पक्की नेजाबंदी मौके पर
नियमानुसार कमीशन शुल्क 500/- जमा करवाकर
करें, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली
हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर होकर बाद
दाखिल दफ्तर हो।

16.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 /

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:26:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 291 दिनांकः– 16.8.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हनुमानराम पुत्र शंकरराम जाति जाट निवासी गुलजी का पाना तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. किशोरसिंह पुत्र नरपतसिंह वगैरा निवासी गुलजी का पाना (अकदड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 48/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा गुलजी का पाना पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 973/659, 974/660 रकबा क्रमशः 0.4692, 1.3268 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(SDO) बायतु

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 292 to 296 दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हनुमानराम
4. विप्रार्थीगण श्री किशोरसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

16.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:26:33 IST
Reason: SelfAttested